8017
16/09/16

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।
:: *संकल्प* ::

कृपया पढ़े :–

1. सचिव–सह–परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक पत्रांक–368, दिनांक 26.03.2015
2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का संकल्प सं0–6308, दिनांक 15.07.2015
3. श्री शुभेन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड का पत्रांक–230 / 2015, दिनांक 08.10.2015

श्री प्रेम रंजन, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक– 834 / 03, गृह जिला–राँची) के विरूद्ध जिला परिवहन पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के पद पर कार्यावधि से संबंधित आरोप सचिव–सह–परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक पत्रांक–368, दिनांक 26.03.2015 द्वारा प्रपत्र– 'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया है। प्रपत्र– 'क' में श्री रंजन के विरूद्ध निम्न आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं :–

1. श्री रंजन द्वारा खादान संचालकों के वाहनों के निबंधन में लापरवाही बरती गयी, जिसके कारण परिवहन टैक्स की चोरी हुई एवं सरकार के राजस्व की क्षति हुई। आवेदक (शिकायतकर्त्ता) श्री मरसल मुण्डू, क्वार्टर नं0–100 / 6, टाईप–II, प्रोस्पेक्टिंग, पो0– किरीबुरू, जिला–पश्चिमी सिंहभूम द्वारा उठाये गये बिन्दु मेघाहातुबुरू लौह अयस्क खादान (सेल) के पदाधिकारियों द्वारा झारखण्ड राज्य को परिवहन टैक्स नहीं देने एवं राज्य को भारी राजस्व नुकसान पहुँचाने से संबंधित विषय पर विभागीय पत्रांक–848, दिनांक 24.08.2012 के द्वारा प्रमंडलीय आयुक्त, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमंडल, पश्चिमी सिंहभूम से अपने स्तर से जाँच कराते हुए प्रतिवेदन की माँग की गयी थी। प्रमंडलीय आयुक्त, कोल्हान प्रमंडल ने अपने जाँच प्रतिवेदन में मिट्टी काटने वाले बड़े–बड़े औजारयुक्त वाहन एवं अयस्कों को ढोने वाले डम्फर जैसे वाहनों का निबंधन नहीं कराये जाने तथा खादान कार्य में आवागमन के लिए प्रयुक्त वाहनों का व्यवसायिक रूप से भी निबंधित नहीं होने के मामले को दृष्टिपथ में रखते हुए पत्रांक– 1936(A), दिनांक 10.10. 2012 के द्वारा संबंधित विषय पर अपना जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें उनके द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि–

खदान संचालकों के ऐसे वाहनों के निबंधन नहीं किये जाने का प्रश्न है, निश्चित रूप से क्षेत्र में पदस्थापित प्रवर्तन पदाधिकारियों के स्तर पर कोताही बरती गयी है। भले ही खदान संचालक अनभिज्ञता बताते हुए अपने आप को बेकसूर साबित करने का दावा कर सकते हैं, किन्तु विभागीय पदाधिकारियों के ओर से इस वषिय पर संज्ञान नहीं

लेना एवं लिखित कार्रवाई एवं नोटिस नहीं देना, उनकी ओर से लापरवाही का प्रमाण है। यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि यह विषय लगभग एक वर्ष पहले से ही जिला परिवहन पदाधिकारी के संज्ञान में लाया जा चुका है। अब तक सारी विधिसम्मत कार्रवाई उनके स्तर पर कर दी जानी चाहिए थी, जो कि नहीं किया गया। यह भी उनके स्तर पर लापरवाही का प्रमाण है।

अनुमंडल पदाधिकारी, जगन्नाथपुर की अध्यक्षता में किये गये संयुक्त जाँच से संबंधित प्रतिवेदन से भी विदित होता है कि मेघाहातुबुरू लौह अयस्क खदान (सेल) के महाप्रबंधक के द्वारा वाहनों के निबंधन के लिए चेक संख्या–315311 दिनांक 06.07.2012 (एस0बी0आई0) के द्वारा 80.00 लाख रूपये अग्रिम उपलब्ध कराया गया फिर भी ससमय कार्रवाई नहीं किया जाना लापरवाही का द्योतक है।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय संकल्प सं0–6308, दिनांक 15.07.2015 द्वारा श्री रंजन के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें श्री शुभेन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। श्री झा के पत्रांक–230/2015, दिनांक 08.10.2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें आरोप को आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया है। विभागीय कार्यवाही के दौरान श्री रंजन द्वारा आरोप के संबंध में दिये गये बचाव बयान निम्नवत् हैं :–

(1) श्री रंजन का कहना है कि आरोप पत्र में उनके विरूद्ध दो आरोप लगाये गये हैः–

(i) इनके द्वारा खदान मालिकों के अनिबंधित वाहनों के प्रसंग में ससमय कार्रवाई नहीं की गयी, जिसके कारण सरकार को राजस्व की क्षति हुई।

(ii) जेनरल मैनेजर, मेघाहातुबुरू आयरन ओर माइंस से मेघाहातुबुरू खदान में चलने वाले अनिबंधित वाहनों के निबंधन हेतु 80.00 लाख रूपया प्राप्त होने के पश्चात कार्रवाई नहीं की गयी।

(2) उक्त कंडिका–(i) में अंकित आरोप के संबंध में इनका कहना है कि यह आरोप आयुक्त, कोल्हान प्रमंडल, प0 सिंहभूम के प्रतिवेदन पत्रांक–1936(A), दिनांक 10.10.2012 पर आधारित है। इसके आलोक में परिवहन विभाग के पत्रांक–1198, दिनांक 02.11.2012 द्वारा उनसे स्पष्टीकरण की माँग की गयी थी, जिसके अनुपालन में इनके द्वारा सभी बिन्दुओं पर जवाब पत्रांक–660, दिनांक 06.11.2012 द्वारा समर्पित किया गया था। इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर आयुक्त, कोल्हान प्रमंडल, प0 सिंहभूम के मंतव्य की माँग की गयी थी, जिसे आयुक्त द्वारा संतोषजनक मानते हुए परिवहन विभाग को सूचित किया गया था। अतः यह आरोप प्रमाणित नहीं है।

(3) उक्त कंडिका–(ii) के प्रसंग में इनका कहना है कि मेघाहातुबुरू खदान में प्रयुक्त वाहनों की सूची इनके द्वारा पत्रांक–497, दिनांक 26.04.2011 द्वारा सेल प्रबंधन से माँगी गयी थी। सेल प्रबंधन के पत्रांक–MBR/PER/Vehicle/11/2037 दिनांक 24.05.2011 के द्वारा सेल प्रबंधन के स्वामित्व वाले वाहनों की सूची निबंधन संख्या सहित उपलब्ध कराया गया था। यद्यपि इस सूची में आरोप पत्र से संबंधित वाहनों का उल्लेख नहीं था परन्तु सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी सेल के द्वारा इस तथ्य को छुपाया जाना अविश्वसनीय था।

(4) उपायुक्त, प0 सिंहभूम के आदेश संख्या–1733/गो0, दिनांक 12.06.2012 के द्वारा त्रिसदस्यीय जाँच दल, जिसमें अनुमंडल पदाधिकारी, जगन्नाथपुर, जिला परिवहन पदाधिकारी, चाईबासा एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नोवामुण्डी सम्मिलित थे, का गठन किया गया था। इस जाँच दल के द्वारा दिनांक 06.07.2012 को मेघाहातुबुरू आईरन ओर माइंस की जाँच की गयी एवं जाँच के क्रम में MV Act की धारा–39 के उल्लंघन की जानकारी प्राप्त हुई। इसके पश्चात जाँच दल द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए एक औपबंधिक समायोजन होने लायक कर की गणना करते हुए 80.00 लाख रूपये सरकारी राजस्व के रूप में सेल प्रबंधन से दिनांक 06.07.2012 को जमा करायी गयी। फलस्वरूप इस संबंध में नियमों की जानकारी एवं कर देयता की जानकारी की माँग सेल प्रबंधन द्वारा किया गया। तत्पश्चात् SAIL द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में याचिका W.P.(T) No.-3801/12 दायर किया गया था, जिसे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 13.07.2012 को आदेश पारित करते हुए निष्पादित किया गया। न्यायादेश में जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया था कि वादी द्वारा समर्पित अभ्यावेदन का निस्तार उन्हें सुनवाई का उचित मौका देते हुए किया जाय।

(5) न्यायादेश के अनुपालन में श्री रंजन द्वारा वादी के अभ्यावेदन का निस्तार दिनांक 06.10.2012 को उन्हें सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुए किया गया, जिसमें उनके दावे को अस्वीकृत कर दिया गया एवं उन्हें वाहनों के निबंधन हेतु सभी कागजात समर्पित करने हेतु निदेश दिया गया, ताकि रोड टैक्स का आकलन करते हुए इसे जमा करने हेतु कार्रवाई की जा सके।

(6) श्री रंजन द्वारा उल्लेख किया गया है कि उक्त आदेश दिनांक 06.10.2012 के विरूद्ध वादी द्वारा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के समक्ष अपील दायर किया गया, जिसे अपलीय प्राधिकार द्वारा खारिज कर दिया गया। तत्पश्चात वादी द्वारा डी0टी0ओ0 के आदेश दिनांक 06.10.2012 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में याचिका W.P.(T) No. 7247/12 दायर किया गया, जिस पर सुनवाई करते हुए मा0 न्यायालय द्वारा स्टे ऑडर दिनांक 07.12.2012 पारित किया गया। इसके कारण श्री रंजन द्वारा आगे की कार्रवाई नहीं

की जा सकी। इनका कहना है कि उक्त याचिका इनके पूरे पदस्थापन अवधि तक मा0 न्यायालय में लंबित थी एवं स्टे ऑडर प्रभावी था।

(7) श्री रंजन द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि दिनांक 06.07.2012 को जाँच दल द्वारा मेघाहातुबुरू खदान की जाँच के क्रम में जो वाहन पाये गये थे, वे Off Highway Vehicles and Equipment थे और इस प्रकार के वाहनों के लिए परिवहन विभाग के साफ्टवेयर में निबंधन के लिए कोई प्रावधान नहीं था। इसलिए उनके द्वारा पत्रांक–416, दिनांक 05.08.2013 द्वारा District, N.I.C., Officer से साफ्टवेयर में आवश्यक परिवर्तन करने हेतु अनुरोध किया गया था, ताकि अधिक लोडिंग क्षमता एवं सिलिंडर वाले वाहनों को रजिस्टर किया जा सके परन्तु इसके अनुपालन में N.I.C. द्वारा कार्रवाई नहीं की गयी।

(8) उक्त तथ्यों के आलोक में श्री रंजन द्वारा लगाये गये आरोप को निराधार बताया गया है।

संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन द्वारा निम्नवत् मंतव्य दिये गये हैं–

(1) भारत सरकार के गजट GSR 642(E) दिनांक 28.09.2000 के द्वारा मोटर वाहन नियमावली में संशोधन करते हुए "विनिर्माण उपकरण वाहन" की एक नई वाहन श्रेणी परिभाषित की गयी है। इस प्रावधान के फलस्वरूप खदान संचालकों द्वारा "Off Highway vehicles and equipment" मिट्टी की कटाई/अयस्क की ढुलाई में प्रयोग में आने वाले औजार युक्त वाहन/डंफर का निबंधन कर राजस्व की वसूली की जानी चाहिए थी परन्तु प्रवर्तन पदाधिकारी/जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा इसे सुनिश्चित नहीं करायी गयी। SAIL प्रबंधन द्वारा संचालित मेघाहातुबुरू खदान में बिना निबंधन के ऐसे वाहनों को प्रयोग में आने का मामला परिवादी श्री मारसल मुण्डू के द्वारा सरकार के संज्ञान में लाया गया था। इसकी जाँच हेतु उपायुक्त, प0 सिंहभूम के आदेश ज्ञापांक–1733/गो0, दिनांक 12.06. 2012 के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, जगन्नाथपुर की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जाँच दल गठित की गयी थी। संयुक्त जाँच के द्वारा दिनांक 06.07.2012 को जाँच के क्रम में मेघाहातुबुरू खदान में 17 Off Highway वाहन बिना निबंधन के प्रयोग में पाया गया था। इन वाहनों के निबंधन के लिए देय कर की गणना हेतु अपेक्षित कागजात तत्काल उपलब्ध नहीं होने के कारण सेल प्रबंधन से चेक के माध्यम से तत्काल 06.07.2012 को अस्सी लाख रूपये देय कर के विरूद्ध अग्रिम वसूली की गयी।

(2) मा0 झारखण्ड उच्च न्यायालय में याचिका संख्या W.P.(T) 3801/2012 Steel Authority of India Vs State of Jharkhand and others दायर कर "Off Highway vehicles and equipment" का निबंधन Motor Vehicles Act के प्रावधान के तहत कराने के बिन्दु पर मा0 उच्च न्यायालय के न्याय निर्देश की अपेक्षा की गयी। इस याचिका में मा0 उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 13.07.2012 द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश